न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 04/2023 बउनवानी काशी सिंह बनाम लो.सू.अधि.एवं अति0जिला कलेक्टर स0मा0 पुत्र श्री सुरजन सिंह राजपूत निवासी मच्छीपुरा तहसील तलावडा, उपजिला कलेक्टर/तहसीलदार गंगापुर

GCMS No-2023/7

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
22.2.2023	

पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही। लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 24.11.2022 को लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के कार्यालय में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः–

1. श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के कार्यालय से उपजिला कलेक्टर महोदय गंगापुर सिटी को प्रदान किया गया निर्देश पर की गयी कार्यवाही की सम्पूर्ण कार्यवाही की सूचना दिलावे।
2. श्रीमान जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर की सेवामे प्रेषित प्रार्थना दिनांक 11.6.2022 पर की गयी कार्यवाही की सम्पूर्ण पत्रावली की सूचना दिलावें।
3. दिनांक 28.6.2022 को श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय की सेवामे मे प्रेषित प्रार्थना पत्र पर की गयी कार्यवाही की सूचना सत्यप्रति दिलाने की कृपा करे।
4. श्रीमान प्रथम अपीलीय अधिकारी जिला कलेक्टर महोदय की सेवा में की गयी प्रथम अपील के प्रार्थना पत्र दिनांक 30.4.2022 पर की गयी कार्यवाही की प्रमाणित प्रति।
5. श्रीमान तहसीलदार गंगापुर सिटी श्री अजय सिंह मीना महोदय के समक्ष उपस्थित होकर मय कोर्ट फीस के पेश की गयी विन्रम प्रार्थना दिनांक 11.10.2022 पर उनके द्वारा की गयी कार्यवाही की सूचना की सम्पूर्ण प्रमाणित प्रतिलिपि दिलावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।

नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही किन्तु सूचना नही मिलने बाबत अपनी आपत्ति जरिये डाक प्रेषित की गयी है। दौराने सुनवायी पैरोकार राजस्व ने कथन किया कि लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर/उपजिला कलेक्टर/तहसीलदार गंगापुर सिटी के जवाब नोटिस की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि बिन्दु संख्या 1 की सूचना के लिए अपीलान्ट द्वारा 14/–रू जमा नही करवाया गया है इसलिए उपजिला कलेक्टर गंगापुर सिटी द्वारा सूचना उपलब्ध नही करायी गयी है। बिन्दु संख्या 5 की सूचना से संबंधित कोई रिकार्ड तहसील कार्यालय तलावडा मे उपलब्ध नही होने के कारण सूचना अपेक्षित नही है। बिन्दु संख्या 4 की सूचना से संबंधित प्रथम अपील का प्रार्थना पत्र कोर्ट अनुभाग में प्राप्त नही होने के कारण सूचना नही दी गयी हैं, बिन्दु संख्या 2 की सूचना 2 पृष्ठो की तथा बिन्दु संख्या 3 की सूचना 9 पृष्ठों की अपीलान्ट को अपीलान्ट को जरिये पत्रांक एफ.2(285)सूकाअ/2022/1728 दिनांक 3.2.2022 से उपलब्ध करवायी जा चुकी है। अतः अपील खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुॅचता हूॅ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 24.11.2022 के बिन्दु संख्या 2,3,4 मे चाही गयी सूचना अति0जिला कलेक्टर स0मा0 के पत्रांक 1693 [illegible] 2023 द्वारा उपलब्ध करवायी जा चुकी है। तथा बिन्दु संख्या 1 की सूचना वांछित शुल्क [illegible] जाकर संबंधित कार्यालय से प्राप्त कर सकता है, बिन्दु संख्या 5 की सूचना के संबंध में अपीलान्ट [illegible] पत्रांक 2214 दिनांक 21.2.2023 से वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। इस प्रकार चाही गयी सूचना अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जा चुकी है अथवा वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। [illegible] अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार [illegible] नम्बर से कम हो एवं [illegible] तकमीली दाखिल अभिलेख की जावे। आदेश खुले न्यायालय मे सुनवाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.12.19 11:36:21 IST
Reason: SelfAttested

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर